न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 07/2013

प्रार्थी

भूराराम गोदारा
खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. अनोपसिंह पुत्र पहाड़सिंह जाति राजपूत निवासी बारासण गुड़ा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर (खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक)
2. मैसर्स ओम बन्ना ट्रेडिंग कम्पनी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर माफर्म अनोपसिंह

अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (iv) खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थितः–1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम प्रार्थी की ओर से।
2. विप्रार्थीगण एवं अधिवक्ता अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 27.4.2017

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 19.9.2012 को खाध सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर के दौराने गश्त दोपहर 01.30 बजे मैसर्स ओम बन्ना ट्रेडिंग कम्पनी तहसील गुड़ामालानी पहुचंने पर दुकान में एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला, जिसका नाम व पता पूछने पर अपना नाम अनोप सिंह पुत्र पहाड़ सिंह जाति राजपूत निवासी बारासण गुड़ा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर (खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक) बताया। दुकान का निरीक्षण करने पर दुकान में अन्य किराणा खाद्य सामग्री के साथ गुटखा (ऐसा खाद्य प्रदार्थ जिसमें संघटक के रूप में तम्बाकू एवं निकोटीन हैं) ब्राण्ड नजर गुटखा 480 पाउच, किंग गुटखा 7 पाउच, ओटोमेटिक गुटखा 3 पाउच कुल 490 पाउच गुटखा पाया गया, जो आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एच/एफएसएसए/(एफ 93)/2012/955 दिनांक 14.9.2012 के

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

जरिये गुटखा के विक्रय, वितरण, भण्डारन व उत्पादित करने को प्रतिबंधित किया गया है। विप्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रकरण में गुटखा (ऐसा खाद्य पदार्थ जिसमें संघटक के रूप में तम्बाकू एवं निकोटीन है) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (iv) का उल्लंघन होना पाये जाने के आधार पर प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी, बाड़मेर ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया है।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये।

3. विप्राथीगण एवं उनके अधिवक्ता को न्यायालय समय समाप्ति तक तीन–तीन बार अलग–अलग समय में आवाजे लगाई गई परन्तु विप्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता हाजिर नहीं आये। पत्रावली तारीख 27.2.2016 से बहस में चल रही है। अतः बहस एक तरफा सुनी गई।

4. प्रार्थी की ओर से सहायक लोक अभियोज़क प्रथम बाड़मेर का तर्क हैं कि दिनांक 19.9.2012 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा रूबरू मौतबिरान के मैसर्स ओम बन्ना ट्रेडिंग कम्पनी गुड़ामालानी का निरीक्षण करने पर् दुकान में अन्य खाद्य सामग्री के साथ प्रतिबन्धित गुटखा (ऐसा पदार्थ जिसमें संघटक के रूप में तम्बाकू एवं निकोटीन हैं) ब्राण्ड नजर गुटखा 480 पाउच, किंग गुटखा 7 पांउच, ओटोमेटिक गुटखा 3 पाउच कुल 490 पाउच पाया गया। यह खाद्य पदार्थ जिसमें संघटक के रूप में तम्बाकू एवं निकोटीन है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बधन) विनियम के विनियम 2.3.4 के तहत प्रतिबंधित होने के कारण विप्रार्थीगण द्वारा खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(iv) का उल्लंघन किया गया है। जिसके लिये विप्रार्थीगण पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 58 के तहत जुर्माना आरोपित किया जाऐं।

5. हमने सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी। परिवाद में वर्णित तथ्यों एंव इसके संलग्न दस्तावेजात तथा मौका फर्द का अवलोकन किया गया। विप्रार्थीगण की दुकान से बराबद गुटखा में संघटक के रूप में तम्बाकू एवं निकोटीन होता है, जिसका भण्डारन एवं विक्रय करना खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम का उल्लंघन है, राज्य सरकार द्वारा इसके विक्रय,

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

वितरण, भण्डारन व उत्पादित करने पर प्रतिबन्धित किया गया है। विप्रार्थीगण द्वारा प्रतिबंधित गुटखा का विक्रय करना पाये जाने के कारण दोषी प्रतीत होते है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विप्रार्थीगण अनोपसिंह वगैरहा द्वारा खाध सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(iv) के तहत दुकान पर पाये गये गुटखा रखने एवं विक्रय के दोषी है। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 58 में शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। अतः खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (iv) का उल्लंघन करने एंव अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 58 के तहत अभियुक्त अनोपसिंह वगैरहा (प्रत्येक पर) पर रूपये 10,000/– (अक्षरे रूपये दस–दस हजार मात्र) शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्तगण उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 27.4.2017 से एक माह के अंदर–अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अति. जिला मजिस्ट्रेट,बाडमेर
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 27.4.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अति. जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर